सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:– 142/दावा/2016

दायरा दिनांक :– 17.08.2016

GCMS ID–2016/00194

बउनवान

1. उस्मान आ0 मोहम्मद उमर जाति मुसलमान निवासी बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मु0कलसूम बेवा मो0 उमर जाति मुसलमान निवासी बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. हीरालाल आ0 कजोड जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामकल्याण आ0 कजोड जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. गोपाल आ0 कजोड जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. योगराज आ0 हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. भोली बाई पत्नी योगराज जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. दौलतराम आ0 योगराज जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. नार्थी बाई पत्नी रामकल्याण जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. चन्द्रप्रकाश आ0 रामकल्याण जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. इन्द्रा बाई पत्नी गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 188 रा0टि0 एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी :– श्री प्रेमशंकर गुर्जर, प्रहलाद वर्मा
वकील प्रतिवादीगण :– एकतरफा

दिनांक :– 30/04/2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 2897 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम बडौदिया तहसील जिला बून्दी में स्थित है जो वर्तमान में वादी क्रम संख्या 1 के भाई बहिन व वादी क्रम संख्या 2 के पुत्र/पुत्रीया अलताफ हुसैन तथा आशा, अफसाना, शकिला के नाम खातेदारी में दर्ज है। और उसी अनुरूप काबिज काश्त होकर काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है। और खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण आपस में भाई बंध है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 झगडालू व आपराधिक किस्म के व्यक्ति है तथा ये वादीगण से अनावश्यक ही रंजिश रखते है। और वादीगण की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से रास्ता निकालना चाहते है और कब्जा करना चाहते है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के वादीगण सहित अलताफ हुसैन, आशा, अफसाना, शकिला, खातेदार काश्तकार है और उसी अनुरूप काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत9 का वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कोई संबंध नहीं है। और न ही उनको कोई अधिकार है। प्रतिवादी क्रम संख्या 1 लगायत 9 वादीगण की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते है और कब्जा करना चाहते है अभी हाल ही में माह अगस्त 2016 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने ग्राम बड़ौदिया में वादीगण को धमकी दी कि वे उनकी उक्त भूमि पर जबरदस्ती रास्ता निकाल कर रहेंगे और कब्जा भी करेंगे। वादीगण ने हाथा जोडी की और कहा कि उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है। जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है और न ही मौके पर है आप ऐसा नहीं क सकते तब भी वे नहीं माने और धमकी दी कि हम कब्जा करके रहेंगे और रास्ता निकालेंगे। यही वाद कारण है। जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करे और न ही कोई रास्ता निकाले। ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अन्यों से करावे। वाद कारण माह अगस्त 2016 के प्रथम सप्ताह में उत्पन्न हो कर निरन्तर न्यायालय की न्या प्रभूत्व सीमाओं के भीतर उत्पन्न हेाता चला आ रहा है। न्यायालय को न्याय प्रभूत्व प्राप्त है। कृषि भूमि ग्राम बडौदिया में होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिग्री पारित फरमायी जावे :– प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर जबरदस्ती रास्ता नहीं निकाले और न ही कब्जा करे ऐसा न तो स्वयं करे और ने ही अन्यों से करावे। खर्चा मुकदमा 10,000/–रूपये वादीगण को प्रतिवादी 1 लगायत 9 से दिलवाये जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वह भी वादीगण को दिलवायी जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांकः–26.02.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने का पेश करने पर दिनांकः–26.06.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्व की गई एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर पुनः वापिस रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर दिनांकः–26.06.2024 को पुनः एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व शोभालाल माली, भोजराज माली, वादी संख्या 2 मु0 कलसुम के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल है।

हमने प्रकरण पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 2897 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते है। खसरा संख्या 2897 पर राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और न ही मौके पर बना हुआ है। फिर भी प्रतिवादीगण जबरदस्ती

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रास्ता निकालने पर आमादा है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर रास्ता निकालने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से पाबंद किया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि खसरा संख्या 2897 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर जबरदस्ती रास्ता निकालने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/साक्ष्य अखडिंत है जिनके खंडन बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई चाराजोही न्यायालय में नही की गई है। भूमियां वादीगण के खातेदारी में निहित होने से उन पर जबरदस्ती रास्ता बनाने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नही है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2897 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया पर जबरदस्ती रास्ता नहीं निकालने, कब्जा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखित दफतर हो।

निर्णय आज दिनांकः—30.04.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446